झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 8 अदद चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध योजना निर्माण लागत राशि रू० 670.454 लाख (रूपये छः करोड़ सत्तर लाख पैतालीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन 8 अदद चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध योजना निर्माण लागत राशि रू० 670.454 लाख (रूपये छः करोड़ सत्तर लाख पैतालीस हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य की भौगोलिक स्थिति एंव सुखाड़ की समस्या को देखते हुए छोटे–छोटे नदी नालों के जल बहाव को रोक कर चेकडैम का निर्माण किया जाना है। इनके निर्माण से नदी नालो के जल को सरंक्षित कर आगामी वर्षो में कृषको को सिंचाई सुविधा के साथ–साथ दैनिक उपयोग हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

3. चेकडैम के निर्माण के पूर्व स्थल का सर्वेक्षण कर जल के प्रवाह की गति, मिटट्ी का प्रकार, कमांड एरिया का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण के उपरांत नदी/नाले के जलश्राव की गणना की जाती है एंव तदुपरांत रूपांकण कर चेकडैम के विभिन्न अवयवों की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई एंव विशिष्टियों का निर्धारण किया जाता है जिससे कि संरचना का स्थायित्व प्रभावित न हो। योजना के निर्माण के दौरान प्रयुक्त होने वाली सामग्री एंव संरचना के निर्माणाधीन अवयवों के गुणवत्ता की जांच भी समय–समय पर गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा की जाती है। इस प्रकार का कार्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त अभियंता के द्वारा सम्पादित किया जाना योजना के हित में है।

4. **(क) चेकडैम / श्रृखंलाबद्ध चेकडैम योजना के कार्यान्वयन के पूर्व चयनित नदी/नाला पर प्रस्तावित योजना के लिए स्थल विशेष की स्थिति के अलोक में रूपांकण के आधार पर योजनावार विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा, जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्य के अनुरूप मद एंव मात्रा को ध्यान में रखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।**

   (ख) चेकडैम/श्रृखंलाबद्ध चेकडैम योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। **अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

5. उक्त योजनाओं के प्राक्कलन पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

6. **योजना का प्राक्कलन मुख्य मंत्री जनसंवाद अंतर्गत दर्ज शिकायत के आधार पर तैयार किया गया है।**

7. (क) 8 (आठ) अदद चेकडैम/श्रृंखलाबद्ध योजना का निर्माण किया जाना है तथा सिंचन कार्य हेतु प्रति चेकडैम के साथ माइक्रोलिफ्ट योजना का प्रावधान है। योजनाओं की विवरणी परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

(ख) इन योजनाओं की कुल लागत रू॰ 670.454 लाख है, जिससे 425 हे॰ खरीफ, 136 हे0 रब्बी कुल 561 हे0 क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। कार्य का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रू॰ 119510/प्रति हेक्टेयर आकलित है एवं लाभ लागत अनुपात एक से अधिक है।

8. इन योजनाओं पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा :–

(i) बजट शीर्ष "4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उपशीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य–अंतर्गत" रू0 116.578 लाख भारित होगा।

(ii) बजट शीर्ष "4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य–अंतर्गत" रू0 553.876 लाख भारित होगा।

9. जनजातीय उप योजना में प्रावधानित राशि का उपयोग अधिसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा।

10. इन योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर वर्ष 2019–20 में पूर्ण किया जायेगा।

11. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/जमशेदपुर/दुमका/साहेबगंज/पाकुड़/गिरिडीह/लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

12. इस कार्य के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु0:–परिशिष्ट

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
अनु0:–परिशिष्ट

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल राँची/चाईबासा/दुमका/देवघर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल राँची/जमशेदपुर/दुमका/साहेबगंज/पाकुड़/गिरिडीह/लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु०ः–परिशिष्ट

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची/कोल्हान प्रमंडल चाईबासा/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/संथाल परगना प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०ः–परिशिष्ट

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 ..../राँची, दिनांकः ....

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०ः–परिशिष्ट

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य/137/2016 16/1845 रवी. **/राँची, दिनांकः** 06.07.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु०ः–परिशिष्ट

06/07/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
06/07/18

पाराशिष्ट

मुख्यमंत्री जनसंवाद के अंतर्गत चेकडैम / श्रृंखलाबद्ध चेकडैम योजनाओं की विवरणी :-

क्रम सं0	ल0सिं0 प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रखण्ड	प्राक्कलित राशि (लाख में)	सिंचन क्षमता (हे0)			मुख्यमंत्री जन संवाद सं0	B.C. Ratio	शीर्ष	अभि0
						खरीफ	रब्बी	कुल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राँची	राँची	चेंगरी नाला पर चेकडैम का निर्माण	लापुंग	128.5960	55	15	70	प्रधानमंत्री जन संवाद सं0–2017–0039565	1.16	TSP	
2	जमशेदपुर	पू0सिंहभूम	ग्राम–सरडीहा के निकट देव नाला पर चेकडैम निर्माण	चकुलिया	144.1140	70	35	105	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2015–2123	1.64	TSP	
3	दुमका	दुमका	दुधानी जोरिया पर श्रृं0 चेकडैम का निर्माण	मसलिया	108.7100	80	20	100	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2017–51106	1.52	TSP	
4	साहेबगंज	साहेबगंज	सिरिसकोचा ग्राम में चेकडैम का निर्माण	बरहरवा	44.9060	35	10	45	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2017–24056	1.43	TSP	
5	पाकुड	पाकुड़	ग्राम चॉदपुर में चॉदपुर नाला पर चेकडैम का निर्माण	पाकुड़	81.0880	60	25	85	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2015–27117	2.27	TSP	
6	पाकुड	पाकुड़	पारस पोखर के नजदीक लखनपुर नाला में चेकडैम का निर्माण	हिरणपुर	46.4620	32	18	50	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2016–22156	2.65	TSP	
					553.8760	332	123	455				
7	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर	देवघर	पथरीया जोरिया पर चेकडैम का निर्माण	देवीपुर	57.9090	38	6	44	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2016–73540	1.19	OSP	
8	गिरिडीह	गिरिडीह	हरिनमरवा जोरिया पर चेकडैम का निर्माण	बगोदर	58.669	55	7	62	मुख्यमंत्री जन संवाद सं0–2017–53994	1.52	OSP	
					116.5780	93	13	106				
योग					670.4540	425	136	561				

पत्रांक 16/18-19 प्र.स्था. दिनांक 06.07.2018

06/07/2018
उप सचिव (अभि.)
जल संसाधन विभाग
06/07/18